तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा...
04/05/22	वकलान उप०। चूंकि बहस सुने बाकी वक्त हो गया, लिहाजा प्रकरण पुनः बहस सुनना आवश्यक है लिहाजा पत्रा० वास्ते बहस दिनांक 19/5/2022 को पेश हो। आर०ओ०	
19/5/22	वकलान उप०। अधिवक्ता उभयपक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/05/2022 को पेश हो। आर०ओ०	
31/5/22	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जड़ाव कुंवरी नारसिंह द्वारा हस्तगत अपील के साथ धारा-5 म्याद अधि० प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद-ग्रस्त आराजी उनके पिता नारसिंह की पैतृक पुस्तैनी आराजी है, नारसिंह के एक पुत्र शंकरसिंह एवं तीन पुत्रियां छोड़कर वारिसान होने के बावजूद ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरण संख्या 50 दिनांक 25/5/1975 को स्वीकृत करते हुए तीनों पुत्रियों को हक से वंचित कर केवल पुत्र शंकरसिंह के नाम फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दि० 25/2/2020 को राजस्व रेकार्ड की नकलें लेने पर हुई। अपीलार्थी अनपढ़ महिला है, अतः दिनांक 25/5/1975 से 25/2/2020 तक की समयावधि के विलम्ब काल को माफ कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमावें।	
	रेस्पोंडेंट संख्या (2) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] के कथनों का खण्डन करते हुए [illegible] कि वाद ग्रस्त आराजी शंकर सिंह स्व अर्जित आराजी है जो शंकरसिंह के फौत होने पर उनकी पत्नी पार्वती के नाम दर्ज हुई जिसे पार्वती द्वारा कुशालसिंह पुत्र रणजीतसिंह को बेचान कर कब्जा सुपुर्द करवाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:52:38 IST
Reason: Self Attested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

शंकरसिंह के मौत होने पर अपीलार्थी जड़ाव देवी एवं केशीबाई व सुगनकंवर द्वारा दिनांक 22/11/2012 को शपथ-पत्र पर यह इकरारनामा निष्पादित किया जिसमे यह लिखा गया कि भाई शंकरसिंह पुत्र नारायण सिंह जी राजपुरोहित सा. मोहराई तह. जैतारण जिला पाली वाला की बहन सुगना कंवर व केशरीबाई द्वारा अपने भाई शंकर सिंह के पक्ष में लिखत निष्पादित की तथा बहन जड़ाव देवी ने भी लिखत निष्पादित की जिस पर इनके हस्ताक्षर है अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उन्हें प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी दिनांक 25/2/2020 को हुई मनगढ़त है। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरण जो दिनांक 25/5/1975 को स्वीकृत किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील से चुनौती दी है तथा उक्त नामान्तरण की जानकारी 25/2/2020 को होना अंकित किया है। लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित इकरार दिनांक 22/11/2012 जिस पर अपीलार्थी जड़ाव देवी सहित सुगन कंवर, पार्वती देवी, केशीबाई, घड़ीसिंह एवं साक्षी हरिसिंह व बाबूसिंह के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान है। अपीलार्थी द्वारा लगभग 45 वर्ष के विलम्ब काल से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जिसका कोई युक्तियुक्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है साथ ही लिखित इकरार के अनुसार अपीलार्थी को इस सम्बन्ध मे दिनांक 22/11/2012 को ही जानकारी हो चुकी थी। अतः अपीलार्थी का यह कहना कि उन्हें दिनांक 25/2/2020 से पूर्व जानकारी नहीं थी स्वीकार एवं विश्वास योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:38 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलार्थी द्वारा [illegible] करने को 45 वर्ष के दीर्घ काल पश्चात् प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त एवं समुचित कारण दर्शित नहीं करने तथा अपीलार्थी को दिनांक 22/11/2012 को इस सम्बन्ध में जानकारी हो जाने के बावजूद उन्होंने प्रकट नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करने के कारण हस्तगत प्रार्थना-पत्र कलीमांनी साबित नहीं होता है। अतः हस्तगत प्रार्थना-पत्र सारहीन एवं नासाबित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा काल से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। पत्रावली संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। S.D.O

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:02:38 IST
Reason: SelfAttested